संदर्भ संख्या: **42-22/36/2023-अकाम**

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी

हेतु

पैनल में शामिल होने के लिए अनुरोध

दिनांक: 22 सितम्बर 2023

संस्कृति मंत्रालय

भारत में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक नोडल मंत्रालय है।

विषय-सूची

अस्वीकरण (डिस्कलेमर)

खंड 1: **निमंत्रण पत्र**

खंड 2: **बोलीदाता के लिए अनुदेश**

महत्वपूर्ण तारीखें

डेटा शीट

आमुख

प्रस्तावना

आरएफई का दस्तावेजी भाग

धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार

केवल एक प्रस्ताव

प्रस्ताव की वैधता

आरएफई दस्तावेजों से संबंधित स्पष्टीकरण और संशोधन

प्रस्ताव तैयार करना

बोली प्रतिभूति घोषणा

अर्हता-पूर्व मानदंड

हित संघर्ष

विवादपूर्ण कार्यकलाप (कंफ्लिक्टिंग एक्टिविटीज)

विवाद संभावित सौंपे गए कार्य (कंफ्लिक्टिंग असाइनमेंट्स)

स्वामित्व अधिकार

विवादपूर्ण संबंध (कंफ्लिक्टिंग रिलेशनशिल्पस)

वार्ता

निष्पादन सुरक्षा एवं बैंक गारंटी

गोपनीयता

हस्ताक्षरकर्ता का अधिप्रमाणन:

प्रस्तावों की प्रस्तुति, प्राप्त करना और उन्हें खोलना

प्रस्ताव मूल्यांकन

जानकारी

पैनल में शामिल करने का कार्य

पैनलबद्ध होने के बाद की प्रक्रिया

खंड 3: मानक प्रपत्र

तकनीकी प्रपत्र 1ए: प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पत्र

तकनीकी प्रपत्र 1बी: बोलीदाता का प्राधिकार प्रमाणपत्र

तकनीकी प्रपत्र 1सी: बोलीदाता का विवरण

तकनीकी प्रपत्र 2: बोलीदाता का संगठन और अनुभव

तकनीकी प्रपत्र 3: बोली सुरक्षा घोषणा

तकनीकी प्रपत्र 4: विवादपूर्ण कार्यकलाप और उनकी गलत घोषणा के संबंध में सूचना

खंड 4: विचारार्थ विषय

4.1 प्रस्तावना
4.2 कार्य का दायरा
4.3 कार्य का विवरण
4.4 भुगतान की शर्तें
4.5 पैनल-निर्माण निगरानी समिति

(अस्वीकरण) डिस्कलेमर

1. पैनलबद्ध करने का यह अनुरोध ("आरएफई") संस्कृति मंत्रालय (एमओसी), भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
2. इस आरएफई में निहित सूचना या उसके बाद की सूचना इस आरएफई में निर्धारित संदर्भों और शर्तों के आधार पर संस्कृति मंत्रालय या इसके किसी अधिकारी या परामर्शदाता की ओर से मौखिक या दस्तावेजों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से बोलीदाताओं को प्रदान की जाती है।
3. यह आरएफई कोई करार नहीं है और संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को कोई प्रस्ताव नहीं है। इस आरएफई का उद्देश्य इच्छुक पार्टियों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस आरएफई के अनुसरण में उनके प्रस्तावों को तैयार करने हेतु उनके लिए उपयोगी हो सके। इस आरएफई में वे विवरण शामिल हैं, जो परियोजना के संबंध में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निकाली गई विभिन्न अवधारणाओं, आकलनों और विवरणों को दर्शाते हैं। ऐसी अवधारणाओं, आकलनों और विवरणों में वह सारी जानकारी शामिल नहीं होती है जिसकी प्रत्येक बोलीदाता को आवश्यकता हो सकती है। यह आरएफई सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकता है और संस्कृति मंत्रालय, उसके कर्मचारियों या सलाहकारों के लिए इस आरएफई को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष के उद्देश्यों, तकनीकी विशेषज्ञता और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है। इस आरएफई में निहित अवधारणाएं, आकलन, कथन और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं भी हो सकती हैं। इसलिए, प्रत्येक बोलीदाता को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए तथा इस आरएफई में निहित अवधारणाओं, आकलनों और जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता एवं पूर्णता की जांच करनी चाहिए तथा उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।
4. बोलीदाताओं को इस आरएफई में कई मामलों पर जानकारी प्रदान की गई है और यह वैधानिक आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण नहीं है और इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक बयान नहीं माना जाना चाहिए। संस्कृति मंत्रालय यहां व्यक्त कानूनों पर किसी भी व्याख्या या राय की सटीकता या अन्यथा के लिए कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। संस्कृति मंत्रालय, इसके कर्मचारी और सलाहकार कोई अभ्यावेदन या वारंटी नहीं देते हैं और उनका किसी भी कानून, विधान, नियमों या विनियमों या अपकृत्य, क्षतिपूर्ति के सिद्धांतों या अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यथा, किसी भी हानि, दावों क्षति, लागत या व्यय के तहत किसी भी बोली लगाने वाले सहित किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा जो इस आरएफई में निहित किसी भी चीज़ के कारण उत्पन्न हो सकता है या व्यय हो सकता है या भुगतना पड़ सकता है, जिसमें आरएफई की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता और यहां शामिल कोई भी मूल्यांकन, धारणा, बयान या जानकारी शामिल है। या इस आरएफई का हिस्सा माना जाता है या इस चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह से उत्पन्न होता

है। संस्कृति मंत्रालय किसी भी प्रकृति का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है, चाहे वह लापरवाही या अन्यथा उत्पन्न हुआ हो या इस आरएफई में शामिल विवरणों पर किसी भी बोली लगाने वाले की निर्भरता के कारण उत्पन्न हुआ हो।

5. संस्कृति मंत्रालय अपने पूर्ण विवेक से, लेकिन बिना किसी दायित्व के, इस आरएफई में निहित जानकारी, आकलन या अवधारणा को अद्यतन, संशोधित या पूरक करने का हकदार है। इस आरएफई के जारी करने का आशय यह नहीं है कि संस्कृति मंत्रालय इस परियोजना के लिए एक बोली लगाने वाले का चयन करने या चयनित बोली लगाने वाले, जैसा भी मामला हो, को नियुक्त करने के लिए बाध्य है और संस्कृति मंत्रालय बिना कोई कारण बताए किसी बोली लगाने वाले के सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. संस्कृति मंत्रालय या इसके प्राधिकृत अधिकारीगण/प्रतिनिधिगण/सलाहकार किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, चयनित बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया को बदलने या चर्चा को समाप्त करने और जानकारी को उपलब्ध कराने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
7. आरएफई किसी पक्ष के विविध निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं से संबंधित सरोकारों का समाधान नहीं करती। आरएफई का आशय किसी निवेश संबंधी निर्णय का आधार प्रदान करना नहीं है तथा प्रत्येक बोलीदाता को परियोजना की तकनीकी-आर्थिक साध्यताओं के विभिन्न पहलुओं के संबंध में स्वयं का स्वतंत्र आकलन करना चाहिए। इस संबंध में सूचना प्रदान करने या आरएफई में निहित कोई अभ्यावेदन तैयार करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत नहीं किया गया है।
8. संस्कृति मंत्रालय किसी भी समय और बिना कारण बताए बोली प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है तथा ऐसी कोई प्रतिबद्धता व्यक्त या आरोपित नहीं करता कि इस प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यावसायिक लेनदेन हो सकेगा।

खंड 1: निमंत्रण पत्र

आदरणीय महोदय/महोदया,

1. संस्कृति मंत्रालय संगठन के लिए भारत और विदेश में आवश्यक संबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने, उनके आयोजन, प्रबंधन के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को पैनलबद्ध करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। पैनल में शामिल करने के इस अनुरोध (आरएफई) के पीछे संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के लिए इवेंट से पहले और बाद के समाधान, आतिथ्य सेवाओं, यात्रा आदि के आयोजन के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी से प्रस्ताव मांगना है।
2. बोली लगाने वाले का चयन पूर्व-योग्यता मूल्यांकन मानदंड और इस आरएफई में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. इस आरएफई की विषयवस्तु में संस्कृति मंत्रालय की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध है। इस आरएफई में निम्नलिखित खंड शामिल हैं:

    खंड 1 – निमंत्रण पत्र

    खंड 2 - बोली लगाने वालों के लिए निर्देश (डेटा शीट और पूर्व-अर्हता मानदंड सहित)

    खंड 3 – मानक प्रपत्र

    खंड 4 – विचारार्थ विषय

4. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रस्ताव जमा करने से पहले इस आरएफई दस्तावेज़ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस आरएफई के जवाब में प्रस्ताव प्रस्तुत करना इस दस्तावेज़ के नियमों, शर्तों और निहितार्थों की पूरी समझ के साथ सावधानीपूर्वक अध्ययन और जाँच-पड़ताल के बाद किया गया माना जाएगा।
5. सभी इच्छुक एजेंसियों को संस्कृति मंत्रालय के पैराग्राफ 6 में उल्लिखित संबंधित अधिकारी को (आरएफई जारी होने की तारीख से 1 दिन के भीतर) सूचित करना चाहिए:

    5.1 कि वह एक प्रस्ताव पेश करेगी

    5.2 कि वह निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार पूर्व-बोली सम्मेलन में भाग लेगी।

6. आपसे अनुरोध है कि आप आरएफई (महत्वपूर्ण तिथियां) में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार संस्कृति मंत्रालय को परियोजना में भाग लेने/बोली जमा करने में अपनी रुचि के बारे में निम्नलिखित को सूचित करें:

आज़ादी का अमृत महोत्सव,

संस्कृति मंत्रालय,

तीसरी मंजिल, आईजीएनसीए,

जनपथ,

नई दिल्ली - 110 001

मोबाइल नं: +91 9910237273

ईमेल: procurement@investindia.org.in

[cc:sk.singh95@nic.in]

7. पैनल में शामिल होने के लिए यह अनुरोध दस्तावेज़ किसी भी रूप में प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) नहीं है और यह किसी भी तरह से संस्कृति मंत्रालय पर बाध्यकारी नहीं होगा। संस्कृति मंत्रालय बोली प्राप्त होने की अंतिम तिथि और समय से पहले अर्हता प्रक्रिया सहित इस दस्तावेज़ में जानकारी को अद्यतन, संशोधित और पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

भवदीया,

उमा नन्दूरी,
संयुक्त सचिव,
संस्कृति मंत्रालय

खंड 2: बोलीदाताओं को अनुदेश

महत्वपूर्ण तारीखें

आरएफई जारी करने की तारीख	22 सितंबर 2023
बोली-पूर्व बैठक	23 सितंबर 2023 18:00 बजे
प्रश्न प्रस्तुति की अंतिम तारीख	24 सितंबर 2023 12:00 बजे
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	26 सितंबर 2023 17:00 बजे
पूर्व-अर्हता बोली खोले जाना	26 सितंबर 2023 18:00 बजे
परिणामों की घोषणा	घोषणा की जानी है

* कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथियां अस्थायी प्रकृति की हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है। कृपया अनुसूची और शुद्धिपत्र के संबंध में नवीनतम अद्यतन जानकारी के लिए संस्कृति मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया वेबसाइट *https://www.indiaculture.nic.in/https://www.investindia.gov.in/request-for-proposal* पर निविदा पृष्ठ पर जाएं।

डेटा शीट

1.	पक्षकार (क्लाइंट) का नाम:	**संस्कृति मंत्रालय (एमओसी),** संस्कृति मंत्रालय भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी मंत्रालय है।
2.	चयन का तरीका:	पूर्व-योग्यता आधारित प्रणाली (पीक्यूबीएस)

3.	आरएफई का दस्तावेज भाग:	आरएफई में निम्नलिखित अस्वीकरण शामिल हैं: खंड 1-निमंत्रण पत्र खंड 2-बोलीदाताओं को निर्देश खंड 3 - मानक प्रपत्र खंड 4 – विचारार्थ विषय
4.	आरएफई और संबंधित दस्तावेजों की उपलब्धता	https://www.indiaculture.nic.in/ https://www.investindia.gov.in/request-for-proposal
5.	पूर्व योग्यता मानदंड	आरएफई के अनुसार. पूर्व-अर्हता मानदंड के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक है जिसके बिना प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
6.	कार्य का नाम, उद्देश्य और विवरण:	जैसा कि संदर्भ की शर्तों (धारा 5) में बताया गया है
	पूर्व बोली सम्मेलन:	दिनांक: 23 सितंबर 2023 समय: 18:00 बजे Link:https://investindiavc.webex.com/investindiavc/j.php?MTID=m452382e086c31fd5495768a0a6459766 मोड: वर्चुअल मीटिंग
7.	आरएफई में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार पर धाराएं:	आरएफई दस्तावेज़ के अनुसार

8.	आरएफई की शर्तों के अनुसार स्पष्टीकरण का अनुरोध करने और कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करने का पता	आज़ादी का अमृत महोत्सव, संस्कृति मंत्रालय, तीसरी मंजिल, आईजीएनसीए, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001 मोबाइल: +91 9910237273 E:procurement@investindia.org.in sk.singh95@nic.in [cc:priyankachandra.dad@hub.nic.in.]
9.	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पता:	बोली वर्चुअल रूप से प्रस्तुत की जाएगी। कृपया बोली जमा करने की प्रक्रिया के विवरण के लिए खंड (प्रस्तुति, रसीद और प्रस्ताव खोलना) देखें।
10.	प्रस्तुत प्रस्तावों की भाषा (भाषाएं):	**अंग्रेजी** सफल एजेंसियों के साथ हस्ताक्षरित किया जाने वाला पैनलबद्ध पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा।
11.	बोलीदाता को राष्ट्रीय मुद्रा (करेंसी) में लागत का उल्लेख करना है:	भारतीय मुद्रा में लागत का उल्लेख किया जाना है।
12.	प्रस्तावों को इस अवधि तक वैध होना होगा:	**तारीख**: 21 **दिसंबर** 2023 **समय**: 23.59 बजे
13.	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख:	खंड का संदर्भ लें: महत्वपूर्ण तारीखें
14.	पूर्व-अर्हता बोली खोला जाना	खंड का संदर्भ लें: महत्वपूर्ण तारीखें
15.	पूर्व-अर्हता आवश्यकताएं	खंड का संदर्भ लें: पूर्व-अर्हता **मानदंड**

16.	कार्य की अवधि	शुरू में 3 साल पैनलबद्ध विक्रेता के समग्र प्रदर्शन और संस्कृति मंत्रालय के विवेक के आधार पर कार्य की अवधि को अतिरिक्त 2 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

आमुख

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार वह मंत्रालय है जिस पर भारत की कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार की जिम्मेदारी है। यह मंत्रालय भारत में कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

पैनल में शामिल करने के इस अनुरोध (आरएफई) के पीछे संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के इवेंट मैनेजमेंट के लिए शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव की तलाश करना है।

प्रस्तावना

डेटा शीट में नामित संस्कृति मंत्रालय डेटा शीट में निर्दिष्ट चयन की विधि के अनुसार बोली लगाने वाले का चयन करेगा।

डेटा शीट में नामित कार्य के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए डेटा शीट में निर्दिष्ट प्रस्ताव भाग जमा करने के लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित किया जाता है। देर से मिली-बोलियां यानी डेटाशीट में निर्दिष्ट तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव चयनित बोलीदाता के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आधार होंगे।

बोलीदाताओं को स्वयं को स्थानीय परिस्थितियों से परिचित कराना और अपने प्रस्ताव तैयार करते समय उन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। कार्य और स्थानीय स्थितियों पर प्रथम जानकारी प्राप्त करने के लिए, बोलीदाताओं को डेटा शीट में निर्दिष्ट अनुसार बोली-पूर्व सम्मेलन में भाग लेने की सलाह दी जाती है। बोली-पूर्व सम्मेलन में भाग लेना वैकल्पिक है। बोलीदाताओं को बोली-पूर्व

सम्मेलन पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा शीट में नामित संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि से संपर्क करना चाहिए।

बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने, बोली-पूर्व सम्मेलन में भाग लेने आदि से संबंधित सभी लागतें वहन करनी होंगी।

संस्कृति मंत्रालय अपने विवेक से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और कोई भी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है या अपनी आवश्यकताओं को बदल सकता है, वास्तविक कारणों से आरएफई में निर्धारित शर्तों, प्रक्रिया और प्रोटोकॉल को जोड़ या संशोधित कर सकता है, जिसे निविदा के लिए आमंत्रित सभी बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय के पास निविदाकारों के प्रति कोई दायित्व वहन किए बिना अनुबंध दिए जाने से पहले किसी भी समय चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

आरएफई का दस्तावेजी भाग

परियोजना हेतु पैनलबद्ध (आरएफई) दस्तावेज संबंधी अनुरोध में निम्नलिखित खंड शामिल हैं:

खंड 1 - निमंत्रण पत्र

खंड 2 - बोलीदाताओं को निर्देश (डेटा शीट सहित)

खंड 3 - मानक प्रपत्र

खंड 4 - संदर्भ की शर्तें

संभावी बोलीदाताओं से आरएफई दस्तावेजों में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों, आवश्यकताओं और अन्य सूचना की जांच करने की आशा की जाती है। आरएफई दस्तावेजों में उल्लिखित सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या हर तरीके से आरएफई दस्तावेजों के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं होने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत करना संभावित बोलीदाता के जोखिम पर होगा और इसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है।

धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार

संस्कृति मंत्रालय के लिए आवश्यक है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता चयन प्रक्रिया और पैनलबद्ध प्रक्रिया के निष्पादन के दौरान उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, संस्कृति मंत्रालय, इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, दोनों पक्षों पर लागू शर्तों को परिभाषित करता है:

"भ्रष्ट आचरण" का अर्थ चयन प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में किसी सरकारी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्य (नकदी या अन्यथा) की पेशकश करना, देना, प्राप्त करना या याचना करना है।

"कपटपूर्ण आचरण" का अर्थ चयन प्रक्रिया या पैनल/अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत बयानी या चूक है।

"मिलीभगत प्रथाओं" का अर्थ संस्कृति मंत्रालय की जानकारी के साथ या उसके बिना दो या दो से अधिक बोलीदाताओं के बीच एक योजना या व्यवस्था का होना, जो कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर कीमतें निर्धारित करने के लिए तैयार की गई हो।

"बाध्यकारी प्रथाओं" का अर्थ है किसी खरीद प्रक्रिया में भागीदारी को प्रभावित करने या किसी पैनल/अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।

यदि संस्कृति मंत्रालय को पता चलता है कि कार्य सौंपे जाने (अवार्ड) के लिए अनुशंसित बोलीदाता, सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से, संबंधित अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट, धोखाधड़ी, मिलीभगत, या बाध्यकारी प्रथाओं में शामिल है, तो संस्कृति मंत्रालय कार्य सौंपे जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा; और

बोलीदाताओं को अनुबंध की सामान्य शर्तों में विशिष्ट धाराओं में निर्धारित धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार संबंधी प्रावधानों के बारे में पता होना चाहिए।

बोलीदाताओं को पैनल में शामिल होने के बाद के विवरण के अनुसार अनुबंध निष्पादन के दौरान एजेंटों के नाम और पते, राशि और उद्देश्य के विवरण के साथ इस प्रस्ताव से संबंधित

एजेंटों को भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले कमीशन और ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

केवल एक प्रस्ताव

बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव पेश करता है या उनमें भाग लेता है तो ऐसे सभी प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव की वैधता

डेटा शीट से पता चलेगा है कि प्रस्तुति की तारीख से कितने दिनों तक बोलीदाताओं के प्रस्ताव वैध रहेंगे। इस अवधि के दौरान, बोलीदाता प्रस्ताव में नामांकित पेशेवर स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकता होने पर संस्कृति मंत्रालय बोलीदाताओं से उनके प्रस्ताव की वैधता अवधि को बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर सहमत होने वाले बोलीदाता सत्यापित करेंगे कि उन्होंने प्रस्ताव में नामांकित अपने पेशेवर स्टाफ की उपलब्धता बनाए रखा है या प्रस्ताव की वैधता अवधि के विस्तार के बारे में सत्यापन करेंगे, बोलीदाता नया स्टाफ रख सकते हैं जिस पर सहमति देने के लिए अंतिम मूल्यांकन में विचार किया जाएगा। जो बोलीदाता इस पर सहमत नहीं होते हैं उन्हें अपने प्रस्तावों की वैधता अवधि को बढ़ाने से मना करने का अधिकार होगा।

आरएफई दस्तावेजों से संबंधित स्पष्टीकरण और संशोधन

बोलीदाता प्रस्तावों प्रस्तुत करने की तारीख से पहले डेटा शीट में इंगित दिनों की संख्या के संबंध में आरएफई दस्तावेजों के किसी भी भाग के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। स्पष्टीकरण से संबंधित किसी भी अनुरोध को लिखित रूप में या डेटा शीट में इंगित संस्कृति मंत्रालय के पते पर मानक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाए। संस्कृति मंत्रालय लिखित में मानक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसका उत्तर देगा और अपने उत्तर की लिखित प्रतियां (प्रश्न के स्पष्टीकरण सहित किन्तु छान-बीन के स्रोत चिन्हित किए बिना) सभी बोलीदाताओं को भेजेगा। यदि संस्कृति मंत्रालय के स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप आरएफई में कोई संशोधन करना आवश्यक समझेगा तो ऐसा निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा –

प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले किसी भी समय संस्कृति मंत्रालय लिखित में अनुशेष जारी करके या मानक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा आरएफई में संशोधन कर सकता है। अनुशेष को प्रस्ताव के लिए https://www.indiaculture.nic.in/ https://www.investindia.gov.in/request-for-proposaland पर अपलोड किया जाएगा तथा ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य होगा। संस्कृति मंत्रालय बोलीदाताओं को ऐसा पर्याप्त समय देने के लिए, जिसके दौरान उनके प्रस्तावों में संशोधन पर विचार किया जा सके, आवश्यक होने पर प्रस्तावों को प्रस्तुत करने संबंधी अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है।

बोली लगाने से पूर्व बैठक : अध्ययन विषय सामग्री के बारे में संबंधित समस्याओं और संदेह, यदि कोई है, को दूर करने के लिए डेटा शीट में यथाविनिर्दिष्ट बोली पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। आवश्यक होने पर भावी बोलीदाताओं से आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी।

प्रस्ताव तैयार करना

बोलीदाताओं और संस्कृति मंत्रालय द्वारा रखे गए प्रस्तावों और किए गए सभी संबंधित पत्राचार डेटा शीट में विनिर्दिष्ट भाषा/भाषाओं में किए जाएंगे।

अपना प्रस्ताव बनाते समय बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाएगी कि वे आरएफई में निहित सभी दस्तावेजों के ब्यौरों की जांच कर लें। मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने में कोई कमी होने पर प्रस्तावों को निरस्त किया जा सकता है।

भाषा : इस कार्य के एक भाग के रूप में बोलीदाताओं द्वारा जारी किए जानेवाले दस्तावेज आवश्यक रूप से अंग्रेजी में होने चाहिए।

बोली संबंधी दस्तावेज पर अभिकरण के प्रमुख अधिकारी या उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस स्थिति में बोली के साथ प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र भी होगा। **जिस बोली में इस मानदंड को पूरा नहीं किया जाएगा, उसे गैर-अर्हक मानते हुए निरस्त किया जा सकता है।**

बोली प्रतिभूति घोषणा

बोलीदाताओं को आरएफई के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करने और उस पर पाबंद करने के लिए ईएमडी के स्थान पर एक बोली सुरक्षा घोषणा पत्र (प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कंपनी के पत्र शीर्ष पर हस्ताक्षरित) प्रस्तुत करना चाहिए।

बोलीदाता द्वारा आरएफई के नियमों और प्रक्रियाओं की पाबंदी न करने की स्थिति में संस्कृति मंत्रालय के पास यह अधिकारी सुरक्षित होगा कि वे बोलीदाता को 2 वर्षों की अवधि के लिए **संस्कृति मंत्रालय** में किसी भी भावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दें।

बोली सुरक्षा घोषणा पत्र के बिना दिए गए प्रस्तावों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अर्हता-पूर्व मानदंड

अर्हता-पूर्व मानदंड बोलीदाताओं की सूची बनाने पर लागू होंगे। अपेक्षित सहायक दस्तावेज सहित संबंधित मानदंडों की सूची निम्नानुसार है :

स्तर 1

क्र. सं.	अर्हता-पूर्व मानदंड	सहायक दस्तावेज
1.	अभिकरण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत भागीदारी फर्म या भारत में पंजीकृत कार्यालय के साथ एलएलपी अधिनियम 2008 के अंतर्गत एलएलपी आधार पर पंजीकृत होना चाहिए। अभिकरण 01 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम 5 वर्षों से अवश्य ही प्रचालन में होना चाहिए।	(जहां कहीं लागू हो निगमन/पंजीकरण/एमओए के प्रमाण-पत्र की प्रति)
2.	अभिकरण का पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए।	(वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र या वित्तीय ब्यौरों की लेखा परीक्षित प्रति)
3.	संगठन के पेरोल में न्यूनतम 100 कर्मचारी होने चाहिए।	(कंपनी के पत्र शीर्ष/ईपीएफ या कर्मचारियों के ईएसआईसी अभिलेखों पर एचआर द्वारा प्रमाणित कर्मचारियों की सूची)
4.	अभिकरण ने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 3	(पूर्णता प्रमाण-पत्र/कार्य

	कार्यक्रम अवश्य ही सफलतापूर्वक कर लिए हों जिनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का न्यूनतम मूल्य 5 करोड़ रुपये हो या पिछले 3 वर्षों में कम से कम 5 इवेंट पूरे किए हों जिनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का मूल्य 3 करोड़ रुपये हो।	आदेश/क्रय आदेश या सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र)
5.	बोली संबंधी सुरक्षा घोषणा पत्र	(बोली सुरक्षा घोषणा पत्र संबंधी टैक प्रपत्र)
6.	सत्यनिष्ठा समझौता (इंटीग्रिटी पैक्ट)	(अनुबंध-1 पर यथा संलग्न विधिवत भरे गए सत्यनिष्ठा समझौते की प्रति

स्तर-2

क्र. सं.	अर्हता-पूर्व मानदंड	सहायक दस्तावेज
1.	अभिकरण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत भागीदारी फर्म या भारत में पंजीकृत कार्यालय के साथ एलएलपी अधिनियम 2008 के अंतर्गत एलएलपी आधार पर पंजीकृत होना चाहिए। अभिकरण 01 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम 5 वर्षों से अवश्य ही प्रचालन में होना चाहिए।	(जहां कहीं लागू हो निगमन/पंजीकरण/एमओए के प्रमाण-पत्र की प्रति)
2.	अभिकरण का पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत टर्नओवर 20 करोड़ रुपये होना चाहिए।	(वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र या वित्तीय ब्यौरों की लेखा परीक्षित प्रति)
3.	संगठन के पेरोल में न्यूनतम 50 कर्मचारी होने चाहिए।	(कंपनी के पत्र शीर्ष/ईपीएफ या कर्मचारियों के ईएसआईसी अभिलेखों पर एचआर द्वारा

		प्रमाणित कर्मचारियों की सूची)
4.	अभिकरण ने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 3 कार्यक्रम अवश्य ही सफलतापूर्वक कर लिए हों जिनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का न्यूनतम मूल्य 2 करोड़ रुपये हो या पिछले 3 वर्षों में कम से कम 5 इवेंट पूरे किए हों जिनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का मूल्य 1.20 करोड़ रुपये हो।	(पूर्णता प्रमाण-पत्र/कार्य आदेश/क्रय आदेश या सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र)
5.	बोली संबंधी सुरक्षा घोषणा पत्र	(बोली सुरक्षा घोषणा पत्र संबंधी टैक प्रपत्र)
6.	सत्यनिष्ठा समझौता (इंटीग्रिटी पैक्ट)	(अनुबंध-1 पर यथा संलग्न विधिवत भरे गए सत्यनिष्ठा समझौते की प्रति

स्तर-3

क्र. सं.	अर्हता-पूर्व मानदंड	सहायक दस्तावेज
1.	अभिकरण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत भागीदारी फर्म या भारत में पंजीकृत कार्यालय के साथ एलएलपी अधिनियम 2008 के अंतर्गत एलएलपी आधार पर पंजीकृत होना चाहिए। अभिकरण 01 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम 5 वर्षों से अवश्य ही प्रचालन में होना चाहिए।	(जहां कहीं लागू हो निगमन/पंजीकरण/एमओए के प्रमाण-पत्र की प्रति)
2.	अभिकरण का पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत टर्नओवर 10 करोड़ रुपये होना चाहिए।	(वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र या वित्तीय ब्यौरों की लेखा परीक्षित प्रति)
3.	संगठन के पेरोल में न्यूनतम 20 कर्मचारी होने	(कंपनी के पत्र शीर्ष/ईपीएफ या

	चाहिए।	कर्मचारियों के ईएसआईसी अभिलेखों पर एचआर द्वारा प्रमाणित कर्मचारियों की सूची)
4.	अभिकरण ने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 3 कार्यक्रम अवश्य ही सफलतापूर्वक कर लिए हों जिनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का न्यूनतम मूल्य 1 करोड़ रुपये हो या पिछले 3 वर्षों में कम से कम 5 इवेंट पूरे किए हों जिनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का मूल्य 60 लाख रुपये हो।	(पूर्णता प्रमाण-पत्र/कार्य आदेश/क्रय आदेश या सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र)
5.	बोली संबंधी सुरक्षा घोषणा पत्र	(बोली सुरक्षा घोषणा पत्र संबंधी टैक प्रपत्र)
6.	सत्यनिष्ठा समझौता (इंटीग्रिटी पैक्ट)	(अनुबंध-1 पर यथा संलग्न विधिवत भरे गए सत्यनिष्ठा समझौते की प्रति

*डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप /एमएसी/उद्यम प्रमाण-पत्र धारकों को इन मानदंडों से छूट प्राप्त है।

अर्हता-पूर्व मानदंड के लिए दस्तावेजी सबूत आवश्यक है जिसके बिना प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाएगा।

हित संघर्ष

संस्कृति मंत्रालय/प्रयोक्ता मंत्रालय/इंवेस्ट इंडिया नीति के तहत यह अपेक्षा की जाती है कि बोलीदाताओं को व्यावसायिक, प्रयोजनमूलक और निष्पक्ष सुझाव दिए जाने चाहिएं और इस संबंध में उन्हें हर समय संस्कृति मंत्रालय/प्रयोक्ता मंत्रालय/इंवेस्ट इंडिया नीति के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए और अन्य सौंपे गए कार्यों या अपने स्वयं के कारपोरेट हितों से परस्पर टकराव से कड़ाई के साथ अलग रहना चाहिए।

पूर्ववर्ती कंपनियों या उनसे संबंधित किसी कंपनी की सामान्य स्थिति पर सीमांकन किए बिना अभिकरण के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें हितों से संबंधित परस्पर विरोध है और उसे किसी भी परिस्थिति के तहत भर्ती के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

विवादपूर्ण कार्यकलाप (कंफ्लिक्टिंग एक्टिविटीज)

कोई ऐसी फर्म जिसे किसी परियोजना और उससे संबंधित सहायक परियोजनाओं में से किसी परियोजना के लिए अपेक्षित सामान, कार्य या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियोजित किया गया है तो उसे उस सामान, कार्यों या सेवाओं से संबंधित परामर्शदात्री सेवाएं देने के संबंध में अयोग्य माना जाएगा। इसके विपरीत किसी परियोजना या उसकी सहायक परियोजनाओं में से किसी परियोजना को बनाने या उसका कार्यान्वयन करने के लिए परामर्शदात्री सेवाएं देने वाली किसी नियोजित फर्म को ऐसी तैयारी या कार्यान्वयन के लिए बाद में सामान, कार्य या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अयोग्य माना जाएगा।

विवाद संभावित सौंपे गए कार्य (कंफ्लिक्टिंग असाइनमेंट्स)

न तो किसी परामर्शदाता (उनके कार्मिकों और उप परामर्शदाताओं सहित) न ही उनके सहायकों में से किसी को भी ऐसे किसी कार्य के लिए नहीं रखा जाएगा जिसमें उसकी प्रकृति परामर्शदाताओं को सौंपे गए अन्य कार्यों से मेल न खाती हो। उदाहरण के लिए किसी अवसंरचनागत परियोजना के लिए अभियांत्रिकी डिजाइन बनाने के लिए रखे गए परामर्शदाताओं को उस परियोजना के लिए स्वतंत्र पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक परिसंपत्ति पर निजीकरण में किसी सेवार्थी को सहायता देने वाले परामर्शदाता ऐसी किसी परिसंपत्ति को न तो खरीदेंगे और न ही उसे खरीदारों द्वारा खरीदने का सुझाव देंगे। इसी प्रकार किसी कार्य के लिए संदर्भ शर्तें तैयार करने हेतु रखे गए परामर्शदाताओं को विचाराधीन कार्य के लिए नहीं रखा जाएगा।

स्वामित्व अधिकार

जिसे, किसी भी वस्तु के स्वामित्व (यात्रा क्रम, यात्री से संबंधित विवरण, डेटा, रिपोर्ट) (क) इस आरएफई के अंतर्गत पैनल बनाए जाने के अनुसरण में सौंपे गए कार्य को निपटाने के दौरान एकल रूप में या अन्य व्यक्तियों की भागीदारी में किसी चयनित बोलीदाता द्वारा परिकल्पित, खोजा गया, विकसित या अन्यथा बनाया गया हो; या (ख) जो **संस्कृति मंत्रालय/प्रयोक्ता मंत्रालय/इंवेस्ट इंडिया** की गोपनीय सूचना रखता हो या उसमें ये सब निहित हो; या (ग) जिसमें चयनित बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराने के लिए दिए जाने वाले सभी अथवा आंशिक आधार

बनते हों चाहे वे सौंपे गए कार्य के रूप में या अलग से **("कार्य उत्पाद")** विकसित हुए हों, वे **संस्कृति मंत्रालय/ प्रयोक्ता मंत्रालय/इंवेस्ट इंडिया** की ही संपत्ति होंगे और **संस्कृति मंत्रालय/प्रयोक्ता मंत्रालय/इंवेस्ट इंडिया** बनाए गए पैनल की शर्तों के अनुसार उससे संबंधित अधिकारों, स्वामित्व और हितों के पात्र होंगे। किसी भी स्थिति में कोई चयनित बोलीदाता किसी कार्य उत्पाद पर अपने नियंत्रण या किसी अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा नहीं कर सकता है।

विवादपूर्ण संबंध (कंफ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स)

ऐसे बोलीदाता को (उसके कार्मिकों सहित) जिसके **संस्कृति मंत्रालय** के किसी स्टाफ के सदस्य के साथ व्यापारिक या पारिवारिक संबंध हों और जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इनमें से किसी का भाग हो- (i) सौंपे गए कार्य की संदर्भ शर्तों की तैयारी, (ii) ऐसे सौंपे गए कार्य के लिए चयन प्रक्रिया, (iii) पैनल बनाने संबंधी पर्यवेक्षक कार्य में शामिल होगा, उसे तब तक पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संबंध से उत्पन्न विवाद को पैनल बनाने संबंधी संपूर्ण चयन प्रक्रिया और कार्य निष्पादन के दौरान **संस्कृति मंत्रालय** को स्वीकार्य किसी तरीके से हल न किया जाए।

बोलीदाताओं का यह दायित्व होगा कि वे किसी भी ऐसी वास्तविक या संभावित विवादपूर्ण स्थिति को प्रकट करें जिससे संस्कृति मंत्रालय की सेवा करने में उनकी क्षमता प्रभावित होगी या उसे तार्किक आधार पर तदनुरूप माना जाए। उक्त परिस्थितियों को न बताने की स्थिति में बोलीदाता को अयोग्य माना जा सकता है या पैनल में से उसका नाम हटाया जा सकता है।

वार्ता

संस्कृति मंत्रालय के पास ये अधिकार सुरक्षित होंगे कि वे सामान्य वित्तीय नियमावली या उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत बोलीदाता द्वारा प्रस्तावों पर बातचीत करें।

निष्पादन सुरक्षा एवं बैंक गारंटी

विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार सौंपे गए कार्य को उचित ढंग से करने के लिए चयनित अभिकरण पैनल निर्माण पर हस्ताक्षर करने के दिन या उससे पहले जो पैनल निर्माण संबंधी पत्र **("एलओई")** जारी होने से 30 (तीस) दिनों से अधिक न हों, उसे स्तर 1 के लिए 1,00,000/- रुपये, स्तर 2 के लिए 50,000/- रुपये और स्तर 3 के लिए 20,000/- रुपये के संबंध में 200/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैप पेपर पर अटल कारपोरेट प्रतिभूति प्रपत्र में **संस्कृति**

मंत्रालय के समक्ष निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करेगा, जो पैनल बनाए जाने की अवधि पूरी होने के 60 दिनों बाद वैद्य रहेगा।

पैनल में शामिल अभिकरण आवश्यक रूप से चयनित पैनल में शामिल अभिकरण को जारी किए गए कार्य आवेश की उल्लिखित लागत के सापेक्ष **एक कार्य निष्पादन बैंक प्रतिभूति (पीबीजी)** उपलब्ध करायेगा। ये पीपीजी कार्य आदेश के पूर्ण के बाद से 60 दिनों की अवधि के लिए वैद्य होगी। यह निष्पादन प्रतिभूति कार्य आदेश के सफल समापन के 60 दिन बाद जारी की जाएगी।

बैंक प्रतिभूति **संस्कृति मंत्रालय/उपयोक्ता मंत्रालय/इंवेस्ट इंडिया** के पक्ष में होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित भारतीय बैंक द्वारा जारी की जाएगी। बैंक प्रतिभूति प्रोफार्मा पर होगी, जिसे **संस्कृति मंत्रालय/उपयोक्ता मंत्रालय/इंवेस्ट इंडिया** द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

यह स्पष्ट रूप से समझा गया है और उस पर सहमती है कि कार्य निष्पादन सुरक्षा का उद्देश्य संपूर्ण संविदा के निष्पादन को सुरक्षित करना है। यह भी स्पष्ट रूप से समझा गया है और उस पर सहमत है कि कार्य निष्पादन सुरक्षा का उद्देश्य संविदा दस्तावेज़ के विभिन्न खंडों में उल्लिखित/निर्धारित सभी नुकसानों को कवर करना नहीं है।

यदि सौंपे गए कार्य की अवधि किसी भी कारण से बढ़ाई जाती है, तो बोलीदाता को अपनी लागत पर, अपने द्वारा दी गई निष्पादन सुरक्षा के संबंध में बैंक प्रतिभूति की वैधता अवधि बढ़वानी होगी और विस्तारित/संशोधित बैंक प्रतिभूति मूल रूप से प्रस्तुत बैंक प्रतिभूति की समापन तिथि से पहले संस्कृति मंत्रालय/उपयोक्ता मंत्रालय/इंवेस्ट इंडिया को प्रस्तुत करनी होगी।

गोपनीयता

प्रस्तावों के मूल्यांकन और निविदा दिए जाने से संबंधित सिफ़ारिशों के बारे में जानकारी उन बोलीदाताओं को नहीं बताई जाएगी जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं या उन व्यक्तियों को जो आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया से संबंधित नहीं हैं। किसी भी बोलीदाता द्वारा प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय जानकारी के अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है और उसकी भावी अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

हस्ताक्षरकर्ता का अधिप्रमाणन:

बोली पर अभिकरण के प्रधान अधिकारी या उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में उसे प्राधिकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एतद्द्वारा प्राप्त सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज (मांगे गए किसी भी स्पष्टीकरण और किसी भी बाद के पत्राचार सहित), जहां तक संभव हो, प्रतिनिधि या प्रमुख अधिकारी द्वारा प्रस्तुत और हस्ताक्षरित किए जाएंगे। अभिकरण के प्रधान अधिकारी/प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे और मूल प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर भी आद्याक्षर भी करेगा। प्राधिकार प्रस्ताव के साथ लिखित मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) के रूप में या किसी ऐसे अन्य रूप में होगा जो यह दर्शाता हो कि प्रतिनिधि को हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है। बोलीदाता को पाबंद करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता की क्षमता के पर्याप्त प्रमाण वाली शक्ति या प्राधिकार, या कोई अन्य दस्तावेज बोली के साथ संलग्न किए जाएंगे।

प्रस्तावों की प्रस्तुति, प्राप्त करना और उन्हें खोलना

मूल प्रस्तावों को ईमेल आईडी procurement@investindia.org.in और cc: priyankakrishna.dad@hub.nic.in के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

इस बोली के लिए निम्नलिखित ई-फाइल प्रणाली का प्रस्ताव है:

क. ई-फ़ाइल 1:

i. बोली सुरक्षा घोषणा

ii. अर्हता-पूर्व प्रस्ताव और उसके समर्थन में दस्तावेज़

लिफाफों की सामग्री का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

ई-फ़ाइल 1: बोली सुरक्षा घोषणा, अर्हता-पूर्व प्रस्ताव	E:procurement@investindia.org.in [cc: priyankakrishna.dad@hub.nic.in] अर्हता-पूर्व प्रस्ताव इस आरएफई में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाएगा। अर्हता-पूर्व प्रस्ताव सॉफ्टकॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, शब्द "अर्हता-पूर्व कार्यक्रम प्रबंधन के लिए अभिकरण का पैनल बनाने का प्रस्ताव" सॉफ्ट कॉपी पर लिखा जाएगा। • *तकनीकी प्रस्ताव* इस आरएफई में निर्धारित धारा 3 में

	तकनीकी प्रपत्रों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाएगा। • पहली ई-फ़ाइल में अभिकरण का नाम और अर्हता-पूर्व दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए।
ई-मेल	ई-फ़ाइल 1 को ईमेल में संलग्न किया जाना चाहिए जिसे मेल किया जाएगा। ई-मेल के विषय में परियोजना का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए ("कार्यक्रम प्रबंधन के लिए अभिकरण के पैनल में शामिल होने का प्रस्ताव") यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा ईमेल procurement@investindia.org.in और cc: priyankakrishna.dad@hub.nic.in पर या डेटा शीट में उल्लिखित नियत तिथि और समय पर या उससे पहले या शुद्धिपत्र/परिशिष्ट अनुशेष जारी करके अपनी वेबसाइट पर अद्यतन रूप में भेजा जाएगा। दी गई समय सीमा के बाद प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया गया है तो **संस्कृति मंत्रालय** मेल के खो जाने, गुम होने या समय से पहले खुलने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यह परिस्थिति प्रस्ताव निरस्त होने का मामला हो सकती है और प्रस्ताव को गैर-उत्तरदायी घोषित करने का आधार बनेगी।

प्रस्ताव डेटा शीट में दर्शाई गई ईमेल आईडी पर भेजे जाने चाहिए और अंतिम प्रस्तुतीकरण के समय और डेटा शीट में बताई गई तारीख से पहले प्राप्त नहीं होने चाहिए। प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद प्राप्त कोई भी प्रस्ताव अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव मूल्यांकन

प्रस्ताव खोले जाने के समय से लेकर पैनल में शामिल होने का पत्र दिए जाने तक, बोलीदाताओं को अपनी अर्हता-पूर्व और/या प्रस्ताव से संबंधित किसी भी मामले पर संस्कृति मंत्रालय से संपर्क नहीं करना चाहिए। बोलीदाता द्वारा पैनल में शामिल करने के लिए परीक्षण, मूल्यांकन, प्रस्तावों की रैंकिंग किसी भी रूप में सिफारिश या पैनल में शामिल करने संबंधी अनुशंसा के

परिपेक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोलीदाता के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है।

जानकारी

प्रस्तावों के मूल्यांकन और निविदा से संबंधित सिफ़ारिशों के बारे में जानकारी उन बोलीदाताओं को नहीं बताई जाएगी जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं या उन अन्य व्यक्तियों को जो आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया से संबंधित नहीं हैं। प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय जानकारी के किसी भी बोलीदाता द्वारा अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप इसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है और इसकी भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पैनल में शामिल करने का कार्य

बोलीदाताओं को इस आरएफई में उल्लिखित अर्हता-पूर्व मानदंडों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

संस्कृति मंत्रालय चयनित बोलीदाताओं को पैनल-निर्माण पत्र (एलओई) जारी करके पैनल में शामिल करेगा और इसे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचित करेगा।

चयनित बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह एलओई/संविदा/कार्य आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि और स्थान पर आरएफई के अनुसार बैंक प्रतिभूति जमा करे।

यदि चयनित बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर पैनल-निर्माण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करता है या समय के भीतर कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है, तो पैनल-निर्माण पत्र को निरस्त किया जा सकता है और अगले उच्चतर संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता को पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।

पैनलबद्ध होने के बाद की प्रक्रिया

पैनल-निर्माण प्रारंभ में तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए होगा। संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के निष्पादन और गुणवत्ता की वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन, पैनल-निर्माण संबंधी प्रक्रिया के नवीनीकरण पर निर्णय लेने से पहले अन्य मंत्रालयों/विभागों से जानकारी/प्रतिक्रिया मांग सकता है। **पैनल को 2 अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।**

पैनल में शामिल फर्मों के नियम और शर्तें अंतिम होंगी और पैनल में शामिल होने की अवधि के दौरान वैध रहेंगी।

किसी भी अन्य नियोजन के मामले में, जिसमें इस आरएफई में स्पष्ट कार्यक्षेत्र से आगे घटक शामिल हैं, संस्कृति मंत्रालय विशेष रूप से नियोजन कार्यक्षेत्र को परिभाषित करेगा और पैनल में शामिल अभिकरणों के लिए एक सीमित निविदा के लिए कॉल करेगा। यदि ऐसी सीमित निविदा की आवश्यकता होगी, तो ऐसी सीमित निविदा को बुलाने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी और बाद के चरण में अधिसूचित की जाएगी।

सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्य आदेश/अनुबंध प्रदान करते समय सौंपे गए कार्य को पूरा करने में देरी के लिए भुगतान शर्तों और अर्थदंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

पैनल की समाप्ति: यदि फर्म/कंपनी दिवालिया हो जाती है या अन्यथा बंद हो जाती है या फर्म के विघटन या कंपनी के बंद किए जाने की स्थिति में संस्कृति मंत्रालय किसी भी समय बिना किसी क्षतिपूर्ति के फर्म/कंपनी को लिखित नोटिस देकर पैनल को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के समापन से कार्रवाई या समाधान के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रितक्रिया या प्रभाव नहीं पड़े, जो इसके बाद संस्कृति मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, वह अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त इनपुट/फीडबैक के आधार पर भी पैनल को समाप्त कर सकता है। पैनल के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में पैनल को भी समाप्त कर दिया जाएगा।

धारा 3: मानक प्रपत्र

टैक प्रपत्र	प्रपत्र का नाम	X / √	संलग्न सभी सहायक दस्तावेजों की सूची का उल्लेख करें (यदि कोई हो)
टैक-1	प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पत्र (फॉर्म टैक 1क देखें) बोलीदाता का प्राधिकार प्रमाणपत्र (मामले में ------ फॉर्म टैक 1 ख देखें) बोलीदाता का विवरण (फॉर्म टैक 1 ग)		
टैक-2	बोलीदाता का संगठन और अनुभव		
	(क) बोलीदाता का संगठन		
	(ख) बोलीदाता का अनुभव		
टैक-3	बोली सुरक्षा घोषणा		
टैक-4	टीओआर को समझना और बोलीदाता की क्षमता		
टैक-5	विवादपूर्ण कार्यकलाप और उनकी गलत घोषणा के संबंध में सूचना		

(बोलीदाता के पत्रशीर्ष (लेटरहेड) पर)

तकनीकी प्रपत्र 1क: प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पत्र

[स्थान, दिनांक]

सेवा में,

अकाम सचिवालय
संस्कृति मंत्रालय,
तीसरा तल,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र,
जनपथ, नई दिल्ली - 110001

प्रिय महोदय

हम, अधोहस्ताक्षरी आपके 22 सितंबर 2023 के पैनलीकरण संबंधी अनुरोध के अनुसार, कार्यक्रम प्रबंधन के लिए सृजनात्मक अभिकरण के पैनलीकरण के लिए समाधान प्रस्तुत करने की पेशकश करते हैं। हम एतद्द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

यदि पैनल में शामिल कर्तव्य हमें सौंपे जाते हैं तो हम उनके निष्पादन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि इस प्रस्ताव में दी गई सभी जानकारी और विवरण सही हैं और स्वीकार करते हैं कि इसमें शामिल किसी भी गलत बयान को हमारी अयोग्यता माना जा सकता है।

हम समझते हैं कि **संस्कृति मंत्रालय** प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

भवदीय,
*प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता [पूर्ण नाम एवं पदनाम]:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद:
बोलीदाता का नाम:
पता:

*** कृपया ध्यान दें: गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में प्राधिकार (ऑथराइजेशन) की आवश्यकता होती है।**

तकनीकी प्रपत्र 1बी: बोलीदाता का अधिप्रमाणन प्रमाणपत्र

सेवा में,
'अकाम' सचिवालय
संस्कृति मंत्रालय,
तीसरा तल,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए),
जनपथ,
नई दिल्ली - 110 001

< *बोली लगाने वाले का नाम* > ____________________________, < *पदनाम* > ________________ को संदर्भ (संदर्भ संख्या और दिनांक) के प्रस्ताव से संबंधित कार्य करने के लिए एजेंसी की ओर से संगत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। *बोलीदाता को* _______________________ (बोलीदाता का नाम) बैठकों में भाग लेने तथा उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रक्रियान्वित करते समय आपके द्वारा मांगी गई तकनीकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

धन्यवाद,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।
____

<एजेंसी का नाम>

मुहर

तकनीकी प्रपत्र 1बी: बोलीदाता का ब्यौरा

1	**एजेंसी की सूचना**	**ब्यौरा**
1.1	एजेंसी का नाम	
1.2	ब्यौरा पता फोन नम्बर ई-मेल फैक्स वेबसाइट	
1.3	संपर्क हेतु व्यक्ति: *मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रचालन प्रमुख* नाम पदनाम मोबाइल नम्बर ई-मेल फैक्स	
1.4	संपर्क हेतु व्यक्ति: *प्रोजेक्ट लीडर* नाम	

	पदनाम मोबाइल नम्बर ई-मेल फैक्स	

तकनीकी प्रात्र 2: बोलीदाता का संगठन और अनुभव
(क) - बोलीदाता संगठन

[यहां अपनी एजेंसी/इकाई और इस कार्य के लिए प्रत्येक सहयोगी की पृष्ठभूमि और संगठन का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें। संक्षिप्त विवरण में स्वामित्व विवरण, एजेंसी के निगमन/पंजीकरण की तिथि और स्थान, एजेंसी के उद्देश्य आदि शामिल होने चाहिए।

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	औसत
टर्नओवर (भारतीय रुपए)				

निगमन/पंजीकरण प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षित खाता पत्रक/पी एंड एल पत्रक संलग्न करें।

(ख) - बोली लगाने वाले का अनुभव

नीचे दिए गए प्रारूप का उपयोग करते हुए, ऐसे प्रत्येक सौंपे गए कार्य (असाइनमेंट) के बारे में जानकारी प्रदान कराएं जिसके लिए आपकी एजेंसी ने कानूनी रूप से या तो व्यक्तिगत रूप से एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में या किसी एसोसिएशन के भीतर एक प्रमुख भागीदार में से एक के रूप में, इसके तहत अनुरोध किया गया असाइनमेंट/कार्य को पूरा करने के लिए अनुबंध किया था। असाइनमेंट/कार्य (सटीक असाइनमेंट/कार्य का विवरण प्रस्तुत किया जाए)।

एजेंसी का नाम :_ ____

<table>
<tr><td colspan="2">एजेंसी का नाम</td><td>कार्य का नाम</td></tr>
<tr><td colspan="2">देश के भीतर स्थान का नाम</td><td>आपकी फर्म/संस्था (प्रोफाइल्स) द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमुख प्रोफेशनल स्टाफ</td></tr>
<tr><td colspan="2">क्लाइंट का नाम</td><td>स्टाफ की संख्या</td></tr>
<tr><td colspan="2">पता</td><td>स्टाफ की संख्या – कार्य के महीने, अवधि</td></tr>
<tr><td>कार्य प्रारंभ होने की तारीख (माह/वर्ष)</td><td>कार्य पूरा होने की तारीख (माह/वर्ष)</td><td>सेवाओं की अनुमानित लागत (भारतीय रुपए)</td></tr>
<tr><td colspan="2">संबद्ध परामर्शदाताओं, यदि कोई हों, का नाम</td><td>संबद्ध परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमुख व्यावसायिक स्टाफ के कार्यों के महीनों की संख्या</td></tr>
<tr><td colspan="3">कार्य में शामिल और किए गए कार्यों से संबंधित सीनियर स्टाफ (प्रोजेक्ट डायरेक्टर/कॉर्डिनेटर, टीम लीडर) का नाम</td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रोजेक्ट के कार्यों का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="3">आपके स्टाफ द्वारा दी गई वास्तविक सेवा का विवरण</td></tr>
</table>

टिप्पणी: *कृपया उपर्युक्त प्रत्येक असाइनमेंट के लिए दस्तावेजी साक्ष्य यानी कार्य आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि प्रस्ताव के साथ अपेक्षित समर्थनकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो अनुभव को मूल्यांकन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।*

तकनीकी प्रपत्र 3: बोली प्रतिभूति घोषणा

सेवा में,
अकाम सचिवालय
संस्कृति मंत्रालय,
तीसरा तल,
आईजीएनसीए,
जनपथ ,
नई दिल्ली – 110001

< *बोली लगाने वाले का नाम* > ______________________________, < *पदनाम* > ________________ को संदर्भ प्रस्ताव से निपटने के लिए एजेंसी की ओर से प्राधिकृत किया गया है < *संदर्भ संख्या और दिनांक* > ______________________। < *बोलीदाता का नाम* >. आरएफई के नियमों और शर्तों के अनुसार हम ईएमडी के बदले में संस्कृति मंत्रालय को बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत कर **रहे** हैं। हम स्वीकार करते हैं कि यदि हमारा संगठन आरएफई के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो संस्कृति मंत्रालय हमें संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी सभी भविष्य की निविदाओं से 3 साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकता है।

प्राधिकृत हस्ताक्षर [पूर्ण और आद्याक्षर में]:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद:

एजेंसी का नाम:

पता:

मुहर:

तकनीकी प्रपत्र 4: विवादपूर्ण कार्यों और उनकी गलत घोषणा के बारे में जानकारी:

क्या आपकी एजेंसी द्वारा कोई ऐसे कार्यकलाप किए जा रहे हैं जो परस्पर विरोधी प्रकृति की हैं? यदि हाँ, तो कृपया ऐसे किसी भी कार्यकलाप का विवरण प्रस्तुत करें। यदि नहीं, तो कृपया निम्नानुसार प्रमाणित करें:

हम एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी एजेंसी, हमारी सहयोगी/समूह एजेंसी ऐसे किसी भी में शामिल नहीं है जिसे परस्पर विरोधी कहा जा सके। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि जानकारी की गलत प्रस्तुति के मामले में, **संस्कृति मंत्रालय द्वारा हमारे प्रस्तावों / पैनल / अनुबंध को** बिना किसी मुआवजे के अस्वीकृत / समाप्त कर दिया जाएगा, और मंत्रालय का निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षर [पूर्ण और आद्याक्षर में]:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद:

एजेंसी का नाम:

पता:

खंड 4: विचारार्थ विषय

4.1 प्रस्तावना

4.2 कार्य का दायरा

4.3 कार्य वितरित करना

4.4 भुगतान की शर्तें

4.5 पैनल-निर्माण की निगरानी समिति

4.1 प्रस्तावना

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और कला और संस्कृति के सभी रूपों, (मूर्त और अमूर्त दोनों) को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। मंत्रालय का मिशन उन तरीकों और साधनों को विकसित करना और बनाए रखना है जिनके माध्यम से लोगों की रचनात्मक और सौंदर्य संबंधी संवेदनाएं सक्रिय और गतिशील बनी रहें। इस मंत्रालय का कार्यात्मक दायरा व्यापक है, जिसमें जमीनी स्तर पर सांस्कृतिक जागरूकता सृजित करने से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है।

संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य **पैनल में शामिल होने के इस अनुरोध (आरएफई) के पीछे** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के कार्यक्रमों को आयोजित और उनकी मेजबानी करने के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों के आधार पर इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को सूचीबद्ध करना है।

4.2 कार्य का दायरा

कार्य के दायरे को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा –

पूर्व कार्यक्रम कार्य:

- कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में योजना तैयार करना।
- बजट बनाना और प्रस्तावित कार्यक्रम की लागत और अन्य शुल्कों और व्यय के साथ विस्तृत खाका तैयार करना और उसे संबंधित मंत्रालयों को सौंपना। उस संबंध में संबंधित मंत्रालयों द्वारा सुझाए गए स्पष्टीकरण/संशोधन को शामिल करना। एजेंसी अनुमोदित ब्लूप्रिंट के संदर्भ में संबंधित मंत्रालयों से अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए आगे की भूमिका तैयार करना।
- कार्यक्रमों के लिए आकस्मिक योजना तैयार करना।
- भुगतान गेटवे (डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के अनुरूप) के साथ वेबसाइट और पंजीकरण की व्यवस्था और प्रबंधन, ई-वोटिंग की सुविधा, फ़ायरवॉल सुरक्षा के साथ वेबसाइट में लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था जिसमें इवेंट मॉनिटरिंग के लिए ऑडिट ट्रेल और डैशबोर्ड प्रदान करने की सुविधा शामिल हो।
- आउटरीच के लिए संभावित माध्यमों/तरीकों की पहचान करना (ऑफ़लाइन मीडिया और ऑनलाइन मीडिया)

- आयोजन स्थल की पहचान करना और विस्तृत विश्लेषण करना (कार्यक्रमों के वर्चुअल/भौतिक/हाइब्रिड मोड के लिए)।
- वर्चुअल और हाइब्रिड मोड के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया के लिए मूल्यांकन पद्धति का विकास करना।
- विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सोशल मीडिया पोस्ट और ऑफ़लाइन मीडिया तैयार करना। एजेंसी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रावधान के साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार बनाने के तरीके भी तैयार करेगी।
- एचटीएमएल मेलिंग- बल्क मेलिंग और मैसेजिंग व्यवस्था।
- प्रेस विज्ञप्ति (लॉन्च), प्रसिद्ध समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सावधिक पत्रिकाओं आदि में मीडिया कवरेज।
- कार्यक्रम के निर्णायकों को तय करना, समन्वय करना और उनके साथ संपर्क स्थापित करना - प्राप्त निर्देशों के अनुसार पूर्ण लॉजिस्टिक्स प्रदान करना जिसमें बोर्डिंग, आवास, भोजन, हवाई टिकट, स्थानीय वाहन आदि शामिल हैं।
- वर्चुअल, भौतिक (फिजिकल) और मिश्रित आयोजनों के लिए अतिथि समन्वय कार्य करना।
- बैकड्रॉप की तैयारी (डिजिटल/भौतिक/हाइब्रिड)।
- कार्यक्रम के लिए गान, उपाख्यान, वीडियो बाइट्स सहित ऑडियो-वीडियो सामग्री तैयार करना।
- ओटीपी सुविधा के साथ इवेंट से संबंधित प्रोग्राम एप्लिकेशन तैयार करना।
- लाइव इंटरऐक्शन और प्रश्नोत्तरी सुविधाओं के साथ ऑनलाइन इवेंट प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करना।
- निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में सहायता के लिए भाषा अनुवादकों की व्यवस्था करना।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों, वैधानिक निकायों, स्वायत्त निकायों, सरकारी संगठनों आदि से प्रायोजन जुटाना।
- कार्यक्रमों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्रभावितों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, प्रसिद्ध हस्तियों आदि सहित सेलिब्रिटी तक उपलब्धता (आउटरीच), सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय और संपर्क करना।

कार्यक्रमों के दौरान:

- समाचार पत्र संपादकों, समाचार एंकरों को पत्रिका की कवरेज आदि के लिए आमंत्रित करना और कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति।
- फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री अपलोड करना।
- कार्यक्रम से जुड़े हुए दर्शकों और प्रतियोगियों के बीच इंटर-वॉयस कनेक्टिविटी के साथ वेबसाइट में सामग्री की लाइव स्ट्रीमिंग
- दर्शकों, प्रतियोगियों आदि के लिए भौतिक डेस्क/स्टॉल/मंडप की स्थापना।
- प्रिंट और डिजिटल मीडिया तक पहुंच (आउटरीच) की व्यवस्था करना।
- पंजीकरण प्रबंधन - (ऑनलाइन और ऑनसाइट)।
- कार्यक्रम के दौरान वेबसाइट का रखरखाव करना।
- ऑनलाइन और ऑन-साइट तकनीकी सहायता करना।
- समर्पित 24/7 कॉल कार्यक्रम संबंधी प्रश्नों के लिए कॉल सेंटर्स की व्यवस्था।
- पूरे देश में बैनर, यूनिपोल, पेंफ्लेट्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।
- कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए वर्चुअल एवं फिजिकल रैलियों, रोड शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करना।
- वर्चुअल इवेंट प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन करना जिसमें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए लाइसेंस, बैकएंड तकनीकी सहायता, ब्रेकआउट रूम शामिल हो।
- फिजिकल मीटिंग रूम वीवीआईपी लाउंज, प्रतिभागियों के लिए लाउंज का निर्माण, डिजाइन और उसका रखरखाव करना।
- अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों, न्यायाधीशों के लिए एफ एंड बी सेवाएं और वीवीआईपी/वीआईपी के लिए विशेष एफ एंड बी आवश्यकताओं के लिए संपर्क करना।
- मीडिया प्रबंधन जिसमें नामित मीडिया ज़ोन का निर्माण, मीडिया पास, मीडिया कवरेज शामिल हो।
- ऑनसाइट सुरक्षा जिसमें स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क करना, स्थल सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त करना, प्रोटोकॉल प्रबंधन शामिल हैं।

- कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने की स्थिति में तकनीकी और जनरेटर सहायता के साथ ऑनसाइट और ऑफसाइट पर पावर बैकअप और प्रकाश व्यवस्था करना।
- वैधानिक अनुमोदन और अनुमतियों के लिए स्थानीय प्रशासन अधिकारियों के साथ समन्वय और संपर्क करना।
- आयोजन स्थल की स्वच्छता, सामाजिक दूरी के मानदंड और ऑन-साइट कार्यक्रमों के लिए फेसमास्क और सैनिटाइज़र की पर्याप्त व्यवस्था करना।
- कार्यक्रम के विशेष क्षणों, झलकियों आदि की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ।

कार्यक्रम समाप्ति के बाद:

- कार्यक्रम समाप्ति के बाद की रिपोर्ट
- प्रेस विज्ञप्ति
- कार्यक्रम की सफलता के विवरण के प्रकाशन के लिए मीडिया घरानों और समाचार पत्रों के साथ समन्वय करना।
- कार्यक्रम विश्लेषण की तैयारी
- बची हुई प्रचार सामग्री की पैकेजिंग और शिपिंग, यदि कोई हो।
- पुरस्कार वितरण समारोह की व्यवस्था और कार्यक्रमों के शुभारंभ के लिए अतिथि आमंत्रण

कार्य का उपर्युक्त दायरा किसी भी तरह से अपने आप में संपूर्ण नहीं है और यह दायरा परियोजना की आवश्यकताओं और कार्यक्रम आयोजन के तौर-तरीके – (भौतिक, आभासी या हाइब्रिड) के आधार पर निर्भर करेगा।

4.3 कार्य का विवरण

- पैनल में शामिल बोलीदाता को पैनल में शामिल होने का पत्र दिए जाने के बाद , प्रत्येक स्तर के तहत पैनल में शामिल बोलीदाताओं की सूची संस्कृति मंत्रालय द्वारा संबंधित उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी।
- उपयोगकर्ता मंत्रालय/विभाग पैनल पत्र के अनुसार समय-समय पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पैनल में शामिल बोलीदाताओं को कार्य आदेश दे सकते हैं। कार्य आदेश में कार्य का पूरा दायरा शामिल हो सकता है या कुछ सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। आवश्यकता के आधार पर, () कार्य आदेश सूचीबद्ध बोलीदाताओं में से किसी एक को दिया जा सकता है; या () परियोजना की आवश्यकता के आधार पर कार्य आदेश सूचीबद्ध बोलीदाताओं में से एक से अधिक को दिए जा सकते हैं; या () वाणिज्यिक बोली और अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम के विशिष्ट दायरे के लिए उनके प्रस्तावों के लिए एक से अधिक सूचीबद्ध बोलीदाताओं को विशिष्ट विचारार्थ विषय (टीओआर) दिए जा सकते हैं।
- उपयोगकर्ता मंत्रालय/विभाग सीधे सूचीबद्ध बोलीदाताओं को कार्य आदेश देंगे और **संस्कृति मंत्रालय/इन्वेस्ट इंडिया** संबंधित सूचीबद्ध बोलीदाताओं को कार्य आदेश देने में शामिल नहीं होगा।
- संबंधित मंत्रालय/विभाग पैनल में शामिल बोलीदाताओं के साथ सीधे एक अनुबंध करेंगे और पैनल में शामिल बोलीदाता के माध्यम से प्राप्त सेवाओं के लिए सभी भुगतान संबंधित उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा सहमत अनुबंध/कार्य के अनुसार पैनल में शामिल बोलीदाता को सीधे भुगतान/निपटान किया जाएगा।
- संस्कृति मंत्रालय पैनल में शामिल बोलीदाता को पैनल में शामिल होने का पत्र देने के बाद समय-समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार सीधे तौर पर पैनल में शामिल बोलीदाता को कार्य आदेश दे सकता है ।

4.4 भुगतान की शर्तें

- भुगतान की शर्तें और अनुसूची अन्य नियमों और शर्तों के साथ सीमित निविदा प्रक्रिया में सूचीबद्ध विक्रेताओं को सूचित की जाएगी।

4.5 पैनल-निर्माण की निगरानी समिति

- पैनल-निर्माण की निगरानी और मूल्यांकन समिति के निर्णय पैनल संबंधी सभी पहलुओं के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

- पैनल-निर्माण की निगरानी समिति में संस्कृति मंत्रालय और आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/एजेंसियों के सदस्य शामिल हो सकते हैं।